

उ० प्र० जनहित गारंटी अधिनियम २०११ के अन्तर्गत चिकित्सकों के पंजीकरण उनके द्वारा वांछित प्रपत्र जमा करने के पश्चात निम्नानुसार उपलब्ध कराये जाते हैं :-

- उ० प्र० राज्य से उत्तीर्ण चिकित्सकों को २४ से ७२ घंटों के अन्दर।
- अन्य राज्यों से उत्तीर्ण चिकित्सकों को सम्बंधित राज्य कौंसिलों से सत्यापन के पश्चात।
- विदेशों से उत्तीर्ण चिकित्सकों को मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमानुसार सत्यापन के पश्चात।